भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1127

जिसका उत्तर 8 फरवरी, 2021/19 माघ, 1942 (शक) को दिया गया

सहकारी बैंकों को सहायता

1127. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना आरंभ की है अथवा आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और नाबार्ड द्वारा यह वित्तीय सहायता किस प्रयोजन के लिए प्रदान की जाती है; और

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) सहित ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'सहकारी विकास निधि (सीडीएफ)' नामक निधि की स्थापना की है।

सीडीएफ के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

- बुनियादी स्तर की सहकारी ऋण संस्थानों अर्थात प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी (पीएसीएस) और रुग्ण जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) एवं राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) को व्यवसाय बढ़ाने के लिए संसाधन जुटाने के उनके प्रयासों में सहयोग करना।
- कुशल निर्णय लेने और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्य से मानव संसाधन तैयार करना।
- बेहतर प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और विश्लेषणात्मक क्षमता का निर्माण।
- ग्रामीण कॉपरेटिव की कार्यात्मक दक्षता में सुधार के लिए विशेष अध्ययन करना।

आरसीबी को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपर्युक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :

- बुनियादी कॉपरेटिव के साथ-साथ कार्मिकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए आरसीबी के सहकारी प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआई)।
- डीसीसीबी में पीएसीएस विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।
- सहकारी बैंकों के लिए संगठनात्मक विकास संबंधी पहल (ओडीआई) कार्यक्रम आयोजित करना।

- आरसीबी के निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन एवं अन्य मुख्य अधिकारियों के लिए कारपोरेट अभिशासन और एक्सपोजर दौरों के संबंध में कार्यक्रम।
- प्रासंगिक विषयों पर सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला आयोजित करने के लिए सहायता; राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर अध्ययन और सर्वेक्षण।
- पीएसीएस को कार्यालय फर्नीचर, कैश काउंटर, तिजौरी, नोट गिनने की मशीन, सोलर पैनल इत्यादि के लिए बुनियादी संरचना सहायता।
- इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष में सीडीएफ के अंतर्गत निम्नलिखित नये वांछनीय कार्यकलापों को शामिल किया गया है:

➢ पीएससीएस कम्प्यूटरीकरण - पीएससीएस कम्प्यूटरीकरण के लिए नाबार्ड द्वारा प्रत्येक राज्य को अधिकतम 5 करोड़ रुपये का प्रेरणा अनुदान दिया जाएगा बशर्ते की राज्य सरकारों और सहकारी बैंक द्वारा समतुल्य अनुदान दिया जाए।

➢ एसटीसीबी में सहकारी ऋण संरचना में नये और नमोन्मेषी उत्पाद तैयार करने के लिए व्यवसाय विविधता और उत्पाद नमोन्मेषी (बीडीपीआई) प्रकोष्ठ की स्थापना ।

➢ पीएसीएस को बहु-सेवा केन्द्रों (एमएससी) के रूप में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न संवर्द्धनात्मक (प्रमोशनल) उपायों (अर्थात, संवेदनशील बनाने, संभावित पीएसीएस और व्यवसायिक कार्यकलापों को अभिचिन्हित करने, डीपीआर तैयार करना) के लिए सहायता।

➢ सीटीआई को ऑन लाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है।

➢ सहकारी संगठनों द्वारा प्रकाशन करना ।

अल्पावधिक और दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के विभिन्न टियरों के द्वारा आयोजित विभिन्न संवर्द्धनात्मक कार्यक्रमों के लिए सीडीएफ के अंतर्गत समग्र रूप से 218.50 करोड रुपये (31 जनवरी, 2021 तक) संवितरित किये गये हैं।

(ग): नाबार्ड द्वारा विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सीडीएफ के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

*****

अनुबंध

सीडीएफ-विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार वित्तीय सहायता

रुपये लाख में

क्र.सं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (31-01-2021 तक)
1	अंडमान और निकोबार	8.10	4.89	2.46	0.00
2	आंध्र प्रदेश	91.86	102.80	126.98	41.35
3	अरुणाचल प्रदेश	7.20	5.31	0.00	0.00
4	असम	6.30	12.00	14.78	11.64
5	बिहार	10.85	10.87	11.25	3.98
6	छतीसगढ़	13.15	12.64	8.46	3.25
7	गोवा	0.00	2.36	3.39	0.00
8	गुजरात	116.88	122.73	111.15	19.14
9	हरियाणा	57.86	61.07	56.61	0.64
10	हिमाचल प्रदेश	34.30	33.77	54.56	0.26
11	जम्मू और कश्मीर	0.83	3.57	0.06	0.00
12	झारखंड	4.74	2.58	7.04	0.04
13	कर्नाटक	89.11	82.98	103.12	10.13
14	केरल	115.26	133.10	163.19	16.79
15	मध्य प्रदेश	193.30	31.80	60.19	2.14
16	महाराष्ट्र	74.96	85.37	91.10	0.00
17	मणिपुर	0.00	2.80	3.49	0.00
18	मेघालय	5.44	4.97	0.00	0.00
19	मिजोरम	23.35	13.03	15.26	1.96
20	नागालैंड	0.00	3.18	2.16	0.00
21	ओडिशा	130.76	102.92	138.22	19.32
22	पंजाब	98.47	89.12	69.98	27.07
23	राजस्थान	24.67	16.08	24.00	23.37
24	सिक्किम	5.15	3.95	2.00	0.00
25	तमिलनाडु	128.78	142.02	131.30	7.48
26	तेलंगाना	122.62	70.95	132.36	522.22
27	त्रिपुरा	0.00	0.00	12.16	4.29
28	उत्तराखंड	19.80	24.04	86.36	4.01
29	उत्तर प्रदेश	175.82	138.86	45.23	5.67
30	पश्चिम बंगाल	55.30	69.78	62.33	10.32
31	अन्य	269.06	276.13	250.44	36.80
कुल		**1883.92**	**1665.67**	**1789.63**	**771.87**

स्रोत: नाबार्ड